न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 298 / 2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 महेश कुमार पुत्र गोपालराम।
2 सुमेर पुत्र गोपालराम।
3 हरनन्द पुत्र गोपालराम समस्त जाति जाट निवासीगण बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सदाराम पुत्र भोमाराम।
2 निमली पत्नी रूड़ाराम।
3 रामचन्द्र पुत्र रूड़ाराम।
4 राजेश पुत्र रूड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
5 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
6 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।
7 हरदयाल पुत्र गोपालराम जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुंझुनू दावा बाबत विभाजन दावा संख्या 193 / 2010
(370 / 2007) उनवानी गोपालराम बनाम सदाराम वगैरह
निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.12.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 45 / 2017

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महेश कुमार पुत्र गोपालराम।
2 हरदयाल पुत्र गोपालराम।
3 सुमेर पुत्र गोपालराम।
4 हरनन्द पुत्र गोपालराम।
5 सदाराम पुत्र भोमाराम।
6 निमली पत्नी रूड़ाराम।
7 रामचन्द्र पुत्र रूड़ाराम।
8 राजेश पुत्र रूड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुंझुनू दावा बाबत विभाजन दावा संख्या 193 / 2010
(370 / 2007) उनवानी गोपालराम बनाम सदाराम वगैरह
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.04.2015

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील संख्या 46/2017

1 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महेश कुमार पुत्र गोपालराम।
2 हरदयाल पुत्र गोपालराम।
3 सुमेर पुत्र गोपालराम।
4 हरनन्द पुत्र गोपालराम।
5 सदाराम पुत्र भोमाराम।
6 निमली पत्नी रूड़ाराम।
7 रामचन्द्र पुत्र रूड़ाराम।
8 राजेश पुत्र रूड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री बअदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुंझुनू दावा बाबत विभाजन दावा संख्या 193/2010
(370/2007) उनवानी गोपालराम बनाम सदाराम वगैरह
निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 07.12.2016

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30·01·2020

यह तीनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 193/2010 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री 20.04.2015, अंतिम डिक्री दिनांक 07.12.2016 एवं के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। तीनो अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से तीनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां तीनों पत्रावलियों में प्रथक—प्रथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्ययालय में वादी गोपाल राम ने ग्राम बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू की भूमि खसरा नम्बर 33,34,38,41,157,158,159,161,162,181,182,183,184,211/150 बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 20.04.2015 को प्राथमिक डिक्री जारी की। इसके विरूद्व राजेन्द्र पुत्र रामजीलाल की और से धारा 96 एवं धारा 5 आवेदन के साथ अपील संख्या 45/2017 प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद सुनवाई दिनांक 07.12.2016 को अन्तिम डिक्री जारी की है। इसके विरूद्व राजेन्द्र सिंह पुत्र रामजीलाल की और से अपील संख्या 46/2017 धारा 96 व धारा 5 के आवेदन के साथ पेश की गई एवं वादी गोपाल राम के पुत्र महेश, सुमेर, हरनन्द की और से अपील संख्या 298/2016 प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के सन्दर्भ में

प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। तहसीलदार स्वंय द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये गये है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने की तिथि से पक्षकारों को अवगत नही कराया गया है। दिनांक 21.05.2015 की रिपोर्ट स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार नही की जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है। तहसीलदार द्वारा केवल प्रति हस्ताक्षर किये गये है। इस रिपोर्ट को विचारण न्यायालय ने खारिज कर पुन रिपोर्ट मंगवाई है जो दिनांक 02.09.2016 की है। इसमें स्पष्ट अंकित है कि राजेन्द्र, कनीराम, खसरा नम्बर 157 पर काबिज काश्त है। जबकि विचारण न्यायालय ने इस पर कोई गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2017 पेज 299, आर.आर.टी. 2016–17 पेज 711, आर.आर.डी. 2019 पेज 206 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद में पक्षकारों के जो हिस्से जाहिर किये गये है वे निर्विवाद है विवाद विभाजन को लेकर है। अपीलांट महेश कुमार ने प्राथमिक डिक्री की अपील नही कर केवल अंतिम डिक्री की अपील की है जो धारा 97 से पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 21.05.2015 के विभाजन प्रस्ताव बाबत किसी आपत्ति का उल्लेख नही है। दिनांक 02.09.2016 की रिपोर्ट अनुसार कब्जेधारी को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अपील में आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पोषणीय नही है मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है यह मौके पर उपस्थित रहे है। राजेन्द्र कुमार विचारण न्यायालय में पक्षकार नही थे उनकी अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी 2016(2) पेज 1126, ए.आई.आर. 1961 पेज 790, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 175 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में दिनांक 28.05.2015 को तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये इन प्रस्तावो पर दिनांक 22.01.2016 को वादी की और से आपत्ति पेश की गई। इसके उपरान्त दिनांक 21.07.2016 को तहसीलदार से पुन मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है इस पर विचारण न्यायालय ने अन्तिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अपील संख्या 45/2017 व 46/2017 का प्रश्न है यह अपीले अपीलांट द्वारा धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। यह अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही थे क्योंकि तत्समय वे रिकार्डेड खातेदार काश्तकार नही थे। विभाजन के वाद में रिकार्डेड खातेदार नही होने से उन्हे पक्षकार नही बनाया गया था। ऐसी स्थिति में यह दोनों अपीले पोषणीय नही है अपीलांट को धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 45/2017 एवं 46/2017, 298/2016 खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर